UPUN010035182026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1467/2026

पप्पू पुत्र दुर्गा उम्र 50वर्ष निवासी ग्राम ढोहा मजरा मझकोरिया थाना माखी, जिला उन्नाव।

————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

————विपक्षी।

09.06.2026

अभियुक्त पप्पू द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–412/2025, धारा–110,115(2),117(2)352, 351(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना माखी, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी रमन लोधी की मोटर साइकिल नं0 यू0पी035बीपी 6347 उसके दरवाजे पर खड़ी थी। कार नं0– यू0पी0 35एवी 6347 कि चालक ने जानबूझकर उसकी बाइक मे टक्कर मार दी, विरोध करने पर मोनू, मोहित, रौनक व पप्पू दिनांक 05.10.2025 समय लगभग सांय 06.30बजे उसके दरवाजे आये और उसको गालियां देने लगे, उसके मना करने पर उसे मारापीटा, उसे बचाने आये पवन, अमन, नीरज व शिवम को भी मारापीटा, जान से मारने की धमकी दी।

अभियुक्त विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन हैरान व परेशान करने की नियत से झूठा फसाया गया है। मामले मे आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। धारा 41 का उसके द्वारा पालन किया गया है। उसके द्वारा कोई घटना कारित नही की गयी। चोटें एक्सीडेन्ट की है। मोटर साइकिल में चार लोग बैठे थे, कार मे टक्कर मार दी और गिर गए उल्टा इल्जाम लगा दिया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कथन किया गया कि इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय मे दिया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

वादी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना विलम्ब किये दर्ज करायी गयी है। वादी के भाई पवन को अभियुक्त द्वारा बुरी तरह से मारपीट कर मरणासन्न किया गया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। सिटी स्कैन व एक्स–रे रिपोर्ट में मर्मस्थल पर अस्थिभंग का होना पाया गया। दौरान इलाज पवन 45दिन तक चलफिर पाने मे मामूर रहा और सघन चिकित्सीय निगरानी मे रहा। चोटहिल को आयी चोटें धारा 116बी0एन0एस0 में परिभाषित परिभाषा से आच्छादित है। अभियुक्तगण की मंश चोट पहुॅचाकर हत्या करने की थी। अभियुक्तगण लगातार सुलह का दबाव बना रहे है, कह रहे है कि यदि सुलह नही की गयी तो जान से मार देगे। यदि अभियुक्त को जमानत दी गयी तो वह गवाहान सबूत पर बेजा असर डालेगा और कार्यवाही मुकदमा प्रभावित करेगा।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व अन्य को मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुॅचायी गयी।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसे झूठा फसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया। चोटहिल की चोटें साधारण प्रकृति की है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.10 12:24:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है कि घटना दिनांक 05.10.2025 के संबंध में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी व पवन, अमन व शिवम को मारपीट कर चोट पहुॅचाये जाने का कथन किया गया है। होमगार्ड सत्यकुमार द्वारा चोटहिल पवन के शरीर पर आयी चोटो के चिकित्सीय परीक्षण हेतु दिनांक 06.10.2025 को सी0एच0सी0, मियागंज, उन्नाव लाया गया, जहां डा0 दिनेश कुमार द्वारा परीक्षण के दौरान कुल चार चोटें पायी गयी, जिनमें चोट नं0–1 के लिये एक्स–रे की सलाह दी गयी, शेष चोटें साधारण थी। चोटहिल को दिनांक 07.10.2025 को एलएलआर/केजीएमयू, डिपार्टमेंट आफ ओरल एण्ड मैक्सीलोफेसिल सर्जरी, के लिये रेफर किया गया। चोटहिल की सिटी स्कैन रिपोर्ट दिनांक 06.10.2026 में –Comminuted displaced fracture left side mandibular body also involving alveolar cortex. उल्लिखित किया गया है। चोटहिल दिनांक 07.10.2025 को जीएसवीएम मेडिकल कालेज कानपुर मे भर्ती हुआ। जहां से उसे केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया जहां पर दिनांक 12.10.2025 तक उसका उपचार हुआ। चिकित्सक अभिषेक, केजीएमयू लखनऊ द्वारा अपने बयान मे कथन किया गया कि दिनांक 11.10.2025 को चोटहिल पवन कुमार को हैलट अस्पताल कानपुर से यहां लाया गया, जिसके मुहॅ का नीचे साइड का लेफ्ट जबड़ा टूटा था, जिसका आपरेशन हुआ था। आराम होने के बाद दिनांक 12.10.2025 को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डा0 अरपना अग्रवाल द्वारा बयान दिया गया कि दिनांक 11.10.2025 को चोटहिल पवन का सिटी स्कैन किया गया, जिसमें पवन कुमार के हेड व सर्विकल स्पाइन के सिटी स्कैन में जबड़े के बांये आधे हिस्से मे फैक्चर तथा टीस्यू मे स्वैलिंग पायी गयी। वादी व अमन, शिवम द्वारा घटना का समर्थन करते हुए बयान दिया गया, चोटहिल पवन द्वारा भी अपने बयान में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि मोनू, मोहित, रौनक व पप्पू उसके भाई रमन को मारने पीटने लगे, वह अमन, शिवम व नीरज बीच बचाव करने आये तो उनको भी मारापीटा उसके मुहॅ मे ईटा फेक कर मार दिया जिससे उसका जबड़ा टूट गया वह बेहोश हो गया। वहां से उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे हैलट रेफर किया गया, वहां आराम न मिलने पर उसे केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया, जहां उसे जबडे का आपरेशन हुआ। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता पर विचार कर अभियुक्त की कथित अपराध मे भूमिका और संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नही पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पप्पू द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–412/2025, धारा–110,115(2),117(2)352, 351(2),3(5) बी0एन0एस0 थाना माखी, जिला उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1467/2026 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

दिनांक–09.06.2026
राकेश/–

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
जे0ओ0कोड–यू0पी0 6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।